अपील सूचना अधिकार संख्या 22/2018 अंकुर मिगलानी पुत्र श्री रमेश कुमार मिगलानी, निवासी म0न0 22 एच–ए ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09–05–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अंकुर मिगलानी के अभिभाषक श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का प्रतिवेदन संख्या सूकाअ/2016/3642 दिनांक 19.04.2018 शामिल किया गया। अपीलार्थी के अभिभाषक की बहस दिनांक 30.04.2018 को सुनी जा चुकी है एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन था कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 09.03.2018 को एक प्रार्थना पत्र अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को सूचना के अधिकार 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत किया था, जिस पर लोक सूचना अधिकारी ने उसे बिन्दु संख्या 1 से 7 की सूचना जानबूझकर निर्धारित अवधि मे उपलब्ध नही करवाई है इसलिए दोषी कर्मियों के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जावे और वांछित सूचनाए उपलब्ध करवाई जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अंकुर मिगलानी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.03.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:–

1–2 शमशन भूमि में बच्चों के शव गायब होने के सबंध में प्रशासन द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति व जांच अधिकारी का नाम व उसके पद से जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट जिस अवधि में जिस अधिकारी को प्रस्तुत करनी है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

3. जांच अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश से दिनांक 07.02.2018 तक जो जो कार्यवाही की गई उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति जनहित में।
4. जांच से आज तक जिन जिन गवाहों के बयान लिये गये उनके नाम व पता की सूचना।
5. जांच पूरी करने में लगने वाले समय की सूचना।
6. शमशान भूमि की प्रबन्ध समिति के सदस्यों/अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का नाम व पद की सूचना व उनके नियम दायित्व की सूचना।
7. बच्चों के संस्कार से संबधित जो कार्यवाही की व नियम बनाये उस संबध में की गई कार्यवाही की सूचना व प्रतिलिपि।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दु संख्या 1 से 7 की सूचना अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:–

क्र. सं	वांछित सूचना	प्रतिउत्तर
1 व 2	शमशन भूमि में बच्चों के शव गायब होने के सबंध में प्रशासन द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति व जांच अधिकारी का नाम व उसके पद से जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट जिस अवधि में जिस अधिकारी को प्रस्तुत करनी है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।	आदेश की प्रति संलग्न हैं।
3.	जांच अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश से दिनांक 07.02.2018 तक जो जो कार्यवाही की गई उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति जनहित में।	दिनांक 07.02.2018 को कोई जांच विचाराधीन नही है।
4.	जांच से आज तक जिन जिन गवाहों के बयान लिये गये उनके नाम व पता की सूचना।	जांच कार्यवाही विचाराधीन है
5.	जांच पूरी करने में लगने वाले समय की सूचना।	जांच कार्यवाही विचाराधीन है
6.	शमशान भूमि की प्रबन्ध समिति के सदस्यों/अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का नाम व पद की सूचना व उनके नियम दायित्व की सूचना।	प्रबन्ध समिति निजी संस्थान है उसकी सूचना उनके कार्यालय से प्राप्त की जावे।
7	बच्चों के संस्कार से संबधित जो कार्यवाही की व नियम बनाये उस संबध में की गई कार्यवाही की सूचना व प्रतिलिपि।	प्रबन्ध समिति निजी संस्थान है उसकी सूचना उनके कार्यालय से प्राप्त की जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आंवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

चूंकि उक्तानुसार प्रार्थी को वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 13.04.2018 उत्तर दिया जा चुका है जो सही है जिसमें किसी हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है। फिर भी न्याय हित में लोक सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की भावना को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी यदि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करना चाहे तो उसे करवा दिया जावे और निरीक्षण उपरान्त यदि कोई सूचना उपलब्ध अभिलेख में अपीलार्थी लेना चाहे तो उसे आवेदन करने पर उपलब्ध अभिलेख में से नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर